107 द०प्र०स०

द०प्र०स०

झारखण्ड सरकार
बनाम
सुमंजन तिड़ू वगै०

न्यायालय , अनुमंडल दण्डाधिकारी ,
खूँटी .

D M-36/2017

आदेश पत्रक

26/4/17

अभिलेख संख्या :– एम. 36 / 2017 धारा :– 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी मुरहू के अप्राथमिकी संख्या :– 1/17

139
26/4/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :–

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी ।

अतः मै ..... अनुमंडल दण्डाधिकारी , खूँटी , उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द0 प्र0 स0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरूद्व सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रूपये का बंध –पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय ।

दिनांक :– 11/5/17 को उपस्थापित करें ।

26/4

अनुमंडल दण्डाधिकारी ,
खूँटी

(3)

297
7/9/17

9/12 विपक्षी अनुपस्थित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। वाद में विपक्षी के एक मकान उपस्थित, आवेदन के साथ उपस्थित प्रतिवेदन थाना से अप्राप्त। प्रतिवेदन हेतु पुनः लिखा जाये
22/9/12

07/9/17

22/10/12 विपक्षी अनुपस्थित। वाद में विपक्षी के चार मकान उपस्थित पुनः दि. 12/10/12 को रखें

12/10/12 विपक्षी अनुपस्थित वाद में विपक्षी के पाँच मकान आवेदक के साथ उपस्थित पुनः दि. 31/10/12 को रखें

31/10/12 प्रथम पक्ष के दो मकान गवाह के साथ उपस्थित, विपक्षी के तीन मकान आवेदक के साथ उपस्थित। थाना से वादग्रस्त भवन चित्र प्रतिवेदन मंगाया गया। समीक्षा करने पर भी अप्रमाणित प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की आशंका नहीं है अतः वादी कार्यालय निस्तारित किया जाता है

31/8/17